

29/01/2020

५

3. मिलावट

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान ~~के~~ मूल वाद में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। जो न्यायालय में तस्दीक हो चुका है। तथा प्रकरण का अंतिम रूप से निर्णय कर दिया गया है। इसलिए इस पार्थना पत्र का अलग से कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः मूल वाद का निस्तारण हो जाने से प्राचीण का प्राथना - पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के सल बुमार होकर

गणेश राम
जाधलाल

हुमायुन
रुक्मिणी

कुपेतावत
परिवार
स 1 से 5
कल
कल
कल

मुजारावत
स 1 से 5

L.T. 2 सोमवार

